आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या :– 58/2023 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

पी.एन.बी. हाउसिंग फाईनेन्स, शाखा : जयपुर ।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्री श्रीचरण वैष्णव,
   पता :– केशव एन्ड सन्स, ए–89, एल.एस. नगर, द्वितीय तल, नया खेड़ा, विद्याधर नगर, जयपुर।
   एवं ए–89, एल.एस. नगर, द्वितीय तल, नया खेड़ा, विद्याधर नगर, जयपुर।
   एवं विला नम्बर 20, जी एफ+1, ओरिख वैदास एल आई जी, ओरिख वैदास, खसरा नम्बर 459, ग्राम बगरू खुर्द, तहसील सांगानेर, जयपुर।
2. श्रीमती गायत्री वैष्णव,
   पता :– केशव एन्ड सन्स, ए–89, एल.एस. नगर, द्वितीय तल, नया खेड़ा, विद्याधर नगर, जयपुर।
   एवं ए–89, एल.एस. नगर, द्वितीय तल, नया खेड़ा, विद्याधर नगर, जयपुर।
   एवं विला नम्बर 20, जी एफ+1, ओरिख वैदास एल आई जी, ओरिख वैदास, खसरा नम्बर 459, ग्राम बगरू खुर्द, तहसील सांगानेर, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं मास्टर

The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002.

उपस्थित :– श्री विनोद खाण्डल, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश दिनांक: 03.02.2023

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को पुनर्भुगतान हेतु दिनांक 24.05.2019 को जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती गायत्री वैष्णव के स्वामित्व की सम्पत्ति विला नम्बर 20, जी एफ+1, ओरिख वैदास एल आई जी, ओरिख वैदास, खसरा नम्बर 459, ग्राम बगरू खुर्द, तहसील सांगानेर, जयपुर क्षेत्रफल 67.60 वर्ग मीटर को बन्धक रख कर कुल राशि 18,63,933/– रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 17.12.2021 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि सह ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

सम्पत्ति बंन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 17,77,765.68/–रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 17.12.2021 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था को बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकार है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। धारा–14 के प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।

4. अतः The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमती गायत्री वैष्णव के स्वामित्व की सम्पति 20.0 जी एफ+1, ओरिख वैदास एल आई जी, ओरिख वैदास, खसरा नम्बर 459, ग्राम बगरू खुर्द, तहसील सांगानेर, जयपुर क्षेत्रफल 67.60 वर्ग मीटर का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने आदेश दिये जाते है।

5. आदेश की प्रति सम्बन्धित पुलिस उपायुक्त/पुलिस अधिक्षक (ग्रामीण) जयपुर को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

6. आदेश आज दिनांक **03.02.2023** को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
(कलक्टर) जयपुर